भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *377

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

म्यूच्यूअल फंड योजनाओं का विलय

***377. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:**

श्री राम टहल चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को म्यूच्यूअल फंड स्कीम के विलय में किसी उल्लंघन की जानकारी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार/सेबी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके क्या परिणाम हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'म्यूच्यूअल फंड योजनाओं का विलय' के बारे में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा और श्री राम टहल चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 11 अगस्त, 2017 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *377 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक म्यूच्यूअल फंडों की योजनाओं के विलय को विनियमित करने वाले सेबी (म्यूच्यूअल फंड) विनियमन, 1996 और उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के तहत प्रशासित म्यूच्यूअल फंड (एमएफ) योजनाओं के विलय के संबंध में किसी उल्लंघन की सूचना नहीं दी है।

(ग) : ऊपर भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।